20-9-18 पत्रावली पेश हुई। वकील महेन्द्र कुमार
द्वारा आवश्यक कार्यवाही करायी गयी। हाजिर नहीं।
पेश हेतु जमाबन्दी प्रा. पत्र दि. 25-10-18 को
पेश हो।

SDO

25-10-18 पत्रावली पेश हुई। वकील महेन्द्र
उपस्थित नहीं। पत्रावली पेश हेतु जमाबन्दी
प्रा. पत्र दि. 20-12-18 को पेश हो।

SDO

20-12-18 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र के
प्रार्थीगण का एडवोकेट के माध्यम से कई बार
आवश्यक लगाने पर भी कोई हाजिर
नहीं होने के मद्दे नजर विपक्षीगण विरुद्ध
एकपक्षीय किया जाकर T-1 का पालन
उचित नहीं है। इस प्रार्थना पत्र
निस्तारण के अधीन रीकार्ड मुख्य पर के
लागू किया है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा, मु. चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner